पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10–02–2021

दिनांक 09/10–02–2021 को रात्रि थाना आशियाना 01, तालकटोरा 02, चिनहट 03 गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 पूर्वी

यूपी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना गोमतीनगरः–दिनांक 09–02–2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री धीरज सिंह थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01–फैजी खान पुत्र स्व0 मुजाहिद खान निवासी किराये का मकान गढ़ी पीर खां थाना ठाकुरगंज, लखनऊ 2–श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी ओम प्रकाश सिंह निवासी किराये का मकान राजा राम यादव ग्राम तकबा थाना विभुतिखण्ड लखनऊ 3–रवि प्रकाश पुत्र मदन लाल निवासी 139 नया गणेश गंज थाना नाका हिण्डोला लखनऊ 04–राम बहादुर सिंह पुत्र स्व0 हनुमान सिंह निवासी ग्राम भर्रा थाना कोतबाली रूदौली जनपद अयोध्या हालपता मकान नं0 7 नंदी विहार कॉलोनी मल्हौर थाना चिनहट लखनऊ 05–प्रेम प्रकाश शर्मा पुत्र अमर सिंह शर्मा निवासी 27 इंदलगंज मोहिबुल्लापुर थाना मड़ियांव लखनऊ 6–श्रीमती साहिमा खान पत्नी अहमद अब्दुल रहमान निवासी 435/439 रजबगंज ठाकुरगंज लखनऊ 07–अहमद अब्दुल रहमान खान पुत्र इकतदार अहमद खान निवासी 435/439 रजबगंज ठाकुरगंज लखनऊ के विरूद्व थाना गोमतीनगर द्वारा यूपी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना नगरामः–दिनांक 09–02–2021 को हे0का0 सरवर आलम थाना नगराम द्वारा अभियुक्ता 01–श्रीमती कान्ती पत्नी स्व0 मुनेश्वर निवासी बस स्टॉप दक्षिण टोला कस्बा नगराम थाना नगराम लखनऊ को रामलीला मैदान के पास सड़क दक्षिण टोला कस्बा नगराम से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना काकोरीः–दिनांक 10–02–2021 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि वादी श्री देशराज पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम दुर्गागंज मजरां अतिरिक्त टाउन एरिया थाना काकोरी लखनऊ ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि आज दिनांक 10–02–2021 को समय करीब 06.00 बजे प्रातः वादी के पिता श्री रामकिशन और वादी के पिता के दोस्त हरदयाल जायसवाल पुत्र स्व0 कल्लू के साथ हरदोई–लखनऊ रोड़ पर टहलने आये थे कि रोड़ पर यूनिक कान्वेन्ट स्कूल के पहले दुर्गागंज में किसी अज्ञात वाहन द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के पिता श्री रामकिशन उम्र करीब 55 वर्ष और वादी के पिता के दोस्त हरदयाल उम्र करीब 65 वर्ष को टक्कर मार दिया, जिससे दोनो लोगो की मौके पर मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना काकोरी पर मु0अ0सं0 78/2021 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री विश्वदीप मो0नं0 7376877110 द्वारा की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक खेती/मजदूरी करते थे।

थाना गोमतीनगर विस्तारः–दिनांक 10–02–2021 को थाना गोमतीनगर विस्तार द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 10–02–2021 समय करीब 06.00 बजे प्रातः डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा थाना गोमतीनगर विस्तार पर एक मेमो इस आशय का भेजा गया दिनांक 09–02–2021 समय करीब 10.10 बजे रात्रि को विकास सिंह पुत्र स्व0 कमला कांत सिंह निवासी 23 सरस्वतीपुरम् खरगापुर थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ को रेलवे कासिंग सहारा अस्पताल के पीछे से मृत अवस्था में लाया गया। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री विजय नरायण दुबे मो0नं0–8318430939 द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 09–02–2021 को समय करीब 07.00 बजे सांय को खरगापुर के निकट रेलवे लाइन पर किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से विकास सिंह उम्र करीब 29 की मृत्यु हो गयी थी। मृतक प्राइवेट काम करता था।